कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर
Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./21/13685 ग्वालियर दिनांक 25/11/2021

प्रति,

सदस्य,
न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी,
एम.आई.जी.–247, माधव नगर, ग्वालियर

विषय–ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इस्टीटयूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पीटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत।
(Proposal No. FP/MP/Other/38197/2019)

संदर्भ– 1–भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के ज्ञापन क. 6-MPC060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021
2–प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/912/2019/10–11/3844 दिनांक 22.11.2021

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में लेख है कि ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इस्टीटयूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पीटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र कमांक 6-MPC060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021 से (A) शर्त 01 लगायत 09 तक एवं (B) शर्त 01 लगायत 12 तक अधिरोपित शर्तो के आधार पर सैंद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में अधिरोपित शर्तो के आधार पर राशि जमा करना, वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। अधिरोपित शर्तो के अनुसार पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A) Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.

1. उक्त शर्त के पालन में कैम्पा मद में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 21,36,200/–(रूपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार दो सौ मात्र) e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें। राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. उक्त शर्त के पालन में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व गैर वन भूमि का आधिपत्य वन विभाग को दिये जाने के उपरान्त व्यपवर्तित भूमि का हस्तान्तरण किया जावेगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
3. उक्त शर्त के पालन में इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
4. उक्त शर्त के पालन में ग्वालियर जिले की प्रभावित होने वाली वन भूमि 0.99 हेक्टेयर वन भूमि की 6,26,000/–प्रति हेक्टेयर की दर से नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 6,19,740/–रूपये (छः लाख उन्नीस हजार सात सौ चालीस मात्र) e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करना होगी, राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. उक्त शर्त में पालन में कैम्पा मद में जमा की जाने वाली समस्त रशियों को e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा करने के उपरान्त यू.टी.आर. सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. उक्त शर्त के पालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर ग्वालियर का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. उक्त शर्त के पालन में प्रभावित वन भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की KML File एवं अन्य जानकारी द्वितीय स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
8. भारत सरकार के पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तो का उल्लघंन होनें पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन माना जावेगा, ऐसी दशा में आवेदक विभाग के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 अध्याय–1 के पैरा 1.21 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with CamScanner

9. उक्त शर्त के पालन में समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग द्वारा e-portal (https://parivesh.nic.in/) अपलोड किया जायेगा।

(B) Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1. उक्त शर्त के पालन में वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करें।
2. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने का संबंध इस कार्यालय से है।
3. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि की अतिरिक्त मांग की जाती है तो आवेदक विभाग जमा करने के लिये वचनवद्ध है।
4. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी पेड़ की कटाई नही की जावेगी।
5. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रभावित राजस्व वन भूमि का संबंधित वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर के निर्देशानुसार सीमांकन कराया जावेगा।
6. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि के रेखांकन (ले—आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन प्रस्तुत करें।
7. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कोई मजदूरों का कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
8. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मजदूरों को ईंधन के रूप में एल.पी.जी. उपलब्ध कराई जावे, ताकि वन क्षेत्र एवं आसपास की वन सम्पदा को किसी प्रकार को कोई नुकसान न हो। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
9. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करें कि प्रभावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य राजस्व वन क्षेत्र पर किसी प्रकार का दबाव नही दिया जावेगा।
10. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
11. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग को बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं दी जावेगी। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
12. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनो के विकास व वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु शर्ते अधिरोपित की जाती है उनका समय—समय पर पालन करना अनिवार्य होगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि जमा करने के उपरान्त समस्त अधिरोपित शर्तो का एकजाई पालन प्रतिवेदन तैयार कर 03 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

पृ0 क्रमांक/मा.चि./ दिनांक / /2021

प्रतिलिपि—

1—अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर आपके पत्र कमांक/एफ—5 /912/2019/10—11/3844 दिनांक 22.11.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

2—अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत ग्वालियर की ओर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक/एफ—5 /912/2019/10—11/3844 दिनांक 22.11.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

Scanned with CamScanner